चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 11.11.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना सरधुवा द्वारा पटौनी में,थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में,थाना बहिलपुरवा द्वारा सेमरदहा में,थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर में,थाना कोतवाली कर्वी द्वारा कस्बा कर्वी में,थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाए जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थाना बरगढ़ पुलिस टीम ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के नाम पता का विवरण-

1. कैलाश पुत्र स्व. रामसजीवन सिंह पटेल
2. धीरू पुत्र कैलाश सिंह पटेल निवासीगण ग्राम लपांव थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट

घटना का विवरण-

वादी रामगोविन्द पुत्र स्व. रामसजीवन सिंह पटेल निवासी लपांव द्वारा थाना बरगढ़ पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.11.2026 को रात्रि 10 बजे वादी का लड़का सरदारी लाल तथा वादी के भाई का लड़का सौरभ उर्फ बिल्लू पुत्र कैलाश गांव की दुकान पर अण्डा खाये, अण्डे के पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ। जिस पर अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र सरदारी लाल को बुरी-बुरी गाली देते हुए लाठी-डण्डे से बुरी तरह मारा-पीटा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई, सिर फटकर खून बहने लगा व शरीर में कई चोटें आई जिससे वह मौके पर बेहोश होकर गिर पड़ा। शोरगुल सुनकर काफी लोग आ गये व बीच-बचाव किया तो अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। वादी द्वारा अपने पुत्र को डायल-112 के सहयोग से मऊ अस्पताल ले जाया गया जहाँ से जिला अस्पताल कर्वी रेफर कर दिया गया। स्थिति गंभीर होने पर परिजन दद्दन सिंह द्वारा सदगुरू हास्पिटल शंकरगढ़ में भर्ती कराया गया जहाँ अभी भी इलाज चल रहा है।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना बरगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 152/2026 धारा 110/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। दिनांक 10.11.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि सदगुरु हॉस्पिटल शंकरगढ़ में सरदारी लाल पटेल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मुकदमा उपरोक्त में धारा 105 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

दिनाँक 10.11.2026 को थाना बरगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर 1. कैलाश पुत्र स्व. रामसजीवन सिंह पटेल 2. धीरू पुत्र कैलाश सिंह पटेल निवासीगण ग्राम लपांव थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री अमरेशचन्द्र तिवारी

2.आरक्षी अस्मित यदुवंशी

प्रेस नोट – चित्रकूट पुलिस

थाना सरधुवा पुलिस टीम द्वारा ग्राम अर्की में हुई हत्या के आरोपी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1.जितिन त्रिपाठी पुत्र स्व0 कुशलकान्त निवासी ग्राम अर्की, थाना सरधुवा, जनपद चित्रकूट

घटना का संक्षिप्त विवरण –

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 04.11.2026 को थाना सरधुवा पर रामप्रताप पुत्र राजकुमार प्रजापति निवासी ग्राम अर्की थाना सरधुवा द्वारा सूचना दी कि उसका बड़ा भाई शिवनरेश पुत्र राजकुमार प्रजापति उम्र करीब 27 वर्ष निवासी उपरोक्त जो दिनांक 03.11.2026 की रात्रि में 10.30 बजे घर अर्की आया और उसके बगल में आकर सो गया। शिवनरेश उसी रात्रि से ही घर से गायब है। सूचना पर दिनांक 04.11.2026 को समय 21.31 बजे थाना सरधुवा में गुमशुदगी नं0 13 दर्ज की गई। इसी क्रम में दिनाँक 06.11.2026 को समय लगभग 14.00 बजे सूचना मिली कि गुमशुदा का शव घर से 400-500 मीटर दूर सूखे नाले में आधी जली अवस्था में मिला है। थाना सरधुवा पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी। मृतक के पिता श्री राजकुमार प्रजापति पुत्र भागवत निवासी अर्की,थाना सरधुवा,जनपद चित्रकूट की तहरीर पर दिनाँक 06.11.2026 को मु0अ0सं0 181/2026 धारा 103(1),238(B) बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में मृतक के मोबाइल की CDR एवं अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर जितिन त्रिपाठी पुत्र स्व0 कुशलकान्त निवासी ग्राम अर्की, थाना सरधुवा, जनपद चित्रकूट का नाम प्रकाश में आया।

आज दिनाँक 11.11.2026 को प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री श्रीप्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त जितिन त्रिपाठी पुत्र स्व0 कुशलकान्त निवासी ग्राम अर्की, थाना सरधुवा, जनपद चित्रकूट को पैश्वनी नदी के पुल के पास से समय लगभग 02:45 AM बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने पूंछताछ में बताया कि मृतक एवं आरोपी दोनों दोस्त थे,जिसके कारण मृतक की नजदिकिया घर परिवार में बढ़ने लगी जो आरोपी को पसन्द नही आया जिसके कारण ऐसी घटना कारित की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री श्रीप्रकाश यादव

2.का0 हरेन्द्र

3.का0 सतीश कुमार

4.का0चालक अभिषेक प्रताप सिंह

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

थाना पहाड़ी पुलिस टीम ने नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने के वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुनील कुमार राय एवं उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.09.2026 को एक वादी द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी गयी थी कि उनकी नाबालिक पुत्री को दिनाँक 12.09.2026 को मानस नामक व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाना। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0- धारा 137(2) बीएनएस बनाम मानस पंजीकृत किया गया। पीड़िता उपर्युक्त का माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज कराया गया। बयान में पीड़िता ने आरोपी मानस द्वारा दुष्कर्म करने तथा घटना में आरोपी अनमोल व पुष्पराज की संलिप्ता बताई गयी। जिसके आधार पर मुकदमा उपर्युक्त में धारा

दिनाँक 26.10.2026 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह व उनकी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सिराज हुसैन सिद्दकी पुत्र असफाक हुसैन उपर्युक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.श्री अभयराज सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी

2.निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव

3.आरक्षी राहुल पुरी

4.आरक्षी आदर्श राय